पत्र संख्या-वैट-फार्म-डी-रखरखाव प्रक्रिया/2007-08/ 511 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वैट अनुभाग)

दिनांक::::लखनऊ::::जनवरी 14 , 08

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-14/ग्यारह-9(1)/09 उ0प्र0 अध्या-37-2008-आदेश(3)-2008 दि0-10.1.2008 द्वारा उ0प्र0 वैट अध्यादेश, 2007 की अनुसूची-4 के क्रम संख्या-6, 9, 10 व 11 पर अंकित डीजल ऑयल, फरनेस ऑयल, प्राकृतिक गैस और नैप्था की बिक्री करयोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले व्यापारियों को कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरूद्ध बिक्री करने पर 4 प्रतिशत से कर देय होगा। इस विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार इस निमित्त फार्म डी निर्धारित किया जाता है। फार्म डी का प्रारूप संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

फार्म डी के रख रखाव / प्रयोग की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक मे ंरखा जाएगा।
2. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक क्रमांकित रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण फार्म डी के पृष्ठ भाग में अंकित प्रोफार्मा में कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अगले क्रमागत फार्म डी प्रतिहस्ताक्षर हेतु कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11. एक फार्म डी की अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 5 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।

अत: आपको निर्देश दिये जाते हैं कि फार्म डी के प्रारूप तथा इसके रख रखाव के बारे में समस्त अधिकारियों के साथ साथ आपके जोन में कार्यरत समस्त व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों , चार्टड एकाउण्टेण्ट संघो आदि को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें और इसकी प्रतियां समस्त औद्योगिक इकाईयों को भी उपलब्ध करायें जो इन वस्तुओं का उपयोग करती हों।

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,

लखनऊ।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के शिड्यूल-IV के क्रमांक 6(a), 9(a), 10(a), 11(a) देखें]

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र

(मूल प्रति - करनिर्धारण प्राधिकारी के लिए)

बुक संख्या---------- क्रम संख्या----------

1-	क्रेता का नाम व पता																						
2-	टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y
3-	करनिर्धारण वर्ष														y	y	y	y	-	y	y	y	y
4-	माह का अंतिम दिनांक															d	d	m	m	y	y	y	y
5-	विक्रेता का नाम व पता																						
6-	टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

<u>घोषणा</u>

मैं ----------पुत्र / पुत्री / पत्नी---------- प्रास्थिति---------- ,

एतदृद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान - हस्ताक्षर

तिथि - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

मुहर

<u>नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया</u>

12. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
13. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक क्रमांकित रहेगा।
14. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा।
15. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
16. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
17. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
18. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
19. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा।
20. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
21. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण फार्म डी के पृष्ठ भाग में अंकित प्रोफार्मा में कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अगले क्रमागत फार्म डी प्रतिहस्ताक्षर हेतु कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
22. एक फार्म डी की अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 5 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0सं0	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के शिड्यूल-IV के क्रमांक 6(a), 9(a), 10(a), 11(a) देखें]

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति - विक्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या---------- क्रम संख्या----------

1-	क्रेता का नाम व पता																						
2-	टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y
3-	करनिर्धारण वर्ष														y	y	y	y	-	y	y	y	y
4-	माह का अंतिम दिनांक															d	d	m	m	y	y	y	y
5-	विक्रेता का नाम व पता																						
6-	टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं ----------पुत्र / पुत्री / पत्नी---------- प्रास्थिति---------- ,
एतदृद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान - हस्ताक्षर
तिथि - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम
मुहर

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
2. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक क्रमांकित रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण फार्म डी के पृष्ठ भाग में अंकित प्रोफार्मा में कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अगले क्रमागत फार्म डी प्रतिहस्ताक्षर हेतु कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11. एक फार्म डी की अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 5 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0सं0	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के शिड्यूल-IV के क्रमांक 6(a), 9(a), 10(a), 11(a) देखें]

करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र

(प्रतिपर्ण - क्रेता व्यापारी के लिए)

बुक संख्या---------- क्रम संख्या----------

1-	क्रेता का नाम व पता																						
2-	टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y
3-	करनिर्धारण वर्ष														y	y	y	y	-	y	y	y	y
4-	माह का अंतिम दिनांक															d	d	m	m	y	y	y	y
5-	विक्रेता का नाम व पता																						
6-	टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

<u>घोषणा</u>

मैं ----------पुत्र / पुत्री / पत्नी---------- प्रास्थिति---------- ,
एतदृद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान - हस्ताक्षर
तिथि - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम
मुहर

<u>नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया</u>

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक मे ंरखा जाएगा।
2. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक क्रमांकित रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण फार्म डी के पृष्ठ भाग में अंकित प्रोफार्मा में कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अगले क्रमागत फार्म डी प्रतिहस्ताक्षर हेतु कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11. एक फार्म डी की अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 5 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विरूद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0सं0	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	टिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवाइस की कुल धनराशि
					नाम	कोड	मात्रा / माप			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि